## Order Sheet [Contd] Case No 260/2017 बी.ए

	Case No 260/	′2017
Date of Order or Proceeding	Order or proceeding with Signature of presiding	Signature of Parties or Pleaders where necessary
28.07.2017	आवेदक गन्धर्व सिंह की ओर से श्री जी०एस० गुर्जर अधिवक्ता। राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक श्री दीवानसिंह गुर्जर। पुलिस थाना मी जिला मिण्ड से अप०क० 172/17 अंतर्गत धारा 456, 354, 323, 506, 34 भा०दं०स० एवं धारा 7, 8 पॉक्सो अधिनियम की केस डायरी प्रतिवेदन सिंहत पेश। अवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री जी०एस० गुर्जर द्वारा प्रथम अग्रिम जमानत आवेदनपत्र प्रस्तुत कर निवेदन किया है कि उसे पुरानी रंजिश के कारण बनावटी घटनाकम बनाकर झूठा फंसाया गया है, जबिक उक्त अपराध से आवेदक का कोई संबंध सरोकार नहीं है। आवेदक 55 वर्षीय वृद्ध व्यक्ति होकर सम्भ्रांत परिवार का व्यक्ति है जिसकी सामाजिक छवि को बिगाडने के लिए यह झूठी रिपोर्ट रंजिशन की गई है। आवेदक को पुलिस उक्त अपराध में गिरफ्तार करना चाहती है और यदि उसे गिरफ्तार किया गया तो निश्चित ही उसकी छवि घूमिल हो जावेगी। आवेदक अग्रिम जमानत की समस्त शर्तों का पालन करेगा। अतः उसे उचित जमातन मुचलके पर छोड़े जाने का निवेदन किया है। राज्य की ओर से अपर लोक अभियोजक ने जमानत आवेदनपत्र का विरोध करते हुए आवेदनपत्र निरस्त करने का निवेदन किया है। उपरोक्त संबंध में विचार किया गया। केश डायरी का अवलोकन किया गया।  आवेदक के विद्वान अधिवक्ता ने इन तर्कों पर अव्यधिक वल दिया है के आवेदक गांव का संम्रान्त परिवार का व्यक्ति है और केवल दबाव बनाने के लिए आवेदक पर मारपीट एवं धमकी देने के आरोप लगाए है। आवेदक पर केवल भा.द.वि की धारा 323, 506 का अपराध प्रथम दृष्टिया बनता है जो कि जमानती प्रकृति का है, जबिक आवेदक के विरुद्ध पुलिस ने अजमानती अपराध पंजीबद्ध कर लिया है और इसी आधार पर आवेदक को अग्रिम प्रतिभूति पर मुक्त किये जाने की प्रार्थना की है। अभियोजन कथानक अनुसार फरियादिया द्वारा इस आशय की रिपोर्ट	
	लिखाई गई है कि आरोपी लालू रात में दो बजे घर में आया और बुरी नियत से उसका हाथ पकड लिया और जबरदस्ती करने लगा और उसके चिल्लाने पर चाचा व भाई के आने पर वह भाग गया। जब कि दूसरा घटनाक्रम सुबह का बताया है कि जब वह अपनी मम्मी पापा के सुबह आने पर रिपोर्ट लिखाने जा रही थी तो आरोपी, उसके पिता आए और फरियादिया व उसके पिता के साथ	

डंडे से मारपीट की और उसे जान से मारने की धमकी दी। आवेदक / अभियुक्त पर फरियादी पक्ष को संत्राश कारित करने एवं डंडे से फरियादिया के पिता को स्वेच्छया उपहति कारित करने का आरोप है।

अतः प्रकरण की परिस्थितियाँ एवं उपलब्ध रिकार्ड को देखते हुए आवेदक की ओर से प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदनपत्र 438 जा.फौ. स्वीकार योग्य होने से स्वीकार किया जाता है एवं आदेशित किया जाता है कि कि वह 15 दिवस के अंदर अनुसंधानकर्ता अधिकारी अथवा संबंधित पुलिस अधिकारी के समक्ष उपस्थिति सुनिश्चित करावे और उसके गिरफ्तार होने की दशा में उसकी ओर से गिरफ्तारकर्ता अधिकारी की संतुष्टि योग्य 20,000 / — रूपए की सक्षम प्रतिभूति निम्न शर्तों के अधीन पेश हो तो उसे जमानत पर छोड़े जाने का आदेश दिया। जाता है।

शर्ते-

- साक्ष्य को प्रभावित, प्रलोभित नहीं करेगा।
- आदेश दिनांक से 15 दिवस के अंदर थाने पर उपस्थित होकर अनुसंधान में सहयोग करेगा।
- 3. जैसा अपराध कारित किया है वैसा पुनः नहीं करेगा। उक्त शर्तों के अधीन जमानत पेश हो तो उसे जमानत पर छोडा जावे। आदेश की प्रति सहित केश डायरी संबंधित थाने को बापस की जावे। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर रिकार्ड अभिलेखागार भेजा जावे।

(वीरेन्द्र सिंह राजपूत) अपर सत्र न्यायाधीश गोहद जिला— भिण्ड म0प्र0